बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 5

शनिवार, तिथि	04 चैत्र, 1939 (श.)
	25 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 08

1.	शिक्षा विभाग	-	-	07
2.	खनन एवं भूतत्व विभाग	-	-	01
			कुल योग –	08

छठे वेतनमान का लाभ

184. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के मदरसा एवं संस्कृत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि एवं पेंशन आदि की सुविधा से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन शिक्षकों एवं कर्मियों को भी छठे वेतनमान के वार्षिक वेतनवृद्धि एवं पेंशनादि की सुविधा कबतक देना चाहती है?

उच्चस्तरीय जांच

185. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना के ज्ञापांक-2838, दिनांक 29.12.2016 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर स्थानांतरण किया गया है, उसमें निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना क द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का पालन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक 3369, दिनांक 29.12.2012 को आधार मानकर ज्ञापांक 2838, दिनांक 29.12.2016 की प्र.अ. के स्थानांतरण में प्रोन्नति सूची का अनुपालन करना था, जो किया गया क्या;

(ग) क्या यह सही है कि प्र.अ. स्थानांतरण में निदेशक (प्रा.शि.) के ज्ञापांक-102, दिनांक 31.01.2013, पत्रांक-576, दिनांक 11.06.2011 एवं पत्रांक-240, दिनांक 19.02.2016 के आदेश की जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा धज्जियां उड़ाई गईं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धांधली में लिप्त पदाधिकारी को निलंबित करते हुए उच्चस्तरीय जांच कराकर प्रोन्नति को रद्द करना चाहती है?

अनुशासनिक कार्रवाई

186. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाध्यापक रा. +2 उच्च विद्यालय, घोसरांवा, नालंदा के 02.02.1992 से 18.10.1994 तक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि नालंदा समाहरणालय, बिहार शरीफ, जिला जन शिकायत कोषांग के पत्रांक-598/ज.शि. को दिनांक 27.01.2015 एवं पत्रांक-1024, दिनांक 07.04.2015 द्वारा श्री सिंह के आवेदन पर तीन वर्षों तक कार्रवाई नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि श्री सिंह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक (मा. शिक्षा) एवं सचिवालय का चक्कर लगाते-लगाते सेवानिवृत्त हो चुके हैं और भुखमरी के शिकार हैं;

(घ) क्या यह सही है कि श्री सिंह की सेवानिवृत्ति के उपरांत आजतक उनके सेवान्त लाभ से संबंधित सभी मामले विभाग में लंबित हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री सिंह के बकाये वेतन का भुगतान कबतक सुनिश्चित करना चाहती है और एक सेवानिवृत्त शिक्षक को परेशान करने वाले, सवांत लाभ से वंचित रखने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कबतक करना चाहती है?

प्राथमिकी दर्ज कबतक

187. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ईंट-भट्ठा संचालन करने हेतु खनन विभाग के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से भी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) क्या यह सही है कि भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर में दर्जनों ऐसे ईंट-भट्ठे हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, मानक एवं रॉयल्टी अदा नहीं होने के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अवैध रूप से चल रहे ईंट-भट्टा संचालकों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

स्थानांतरण कबतक

188. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार की यह नीति है कि वैसे प्राथमिक विद्यालय जिसका अपना भवन नहीं है, उसे नजदीक के भवन वाले विद्यालय में स्थानांतरित किया जाय;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड के चकिया टोला, हरिजन प्राथमिक विद्यालय का स्थानांतरण वहां से एक-डेढ़ कि.मी. दूर स्थित मध्य विद्यालय, चकिया टोला में कर दिया गया है जिसमें मात्र चार कमरे हैं तथा म.वि.,दानापुर प्रखंड में आता है;

(ग) क्या यह सही है कि मध्य विद्यालय, शेरपुर जो कि मनेर प्रखंड के अंतर्गत आता है तथा यह चकिया टोला हरिजन प्राथमिक विद्यालय का पोषक क्षेत्र भी है मात्र आधा कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय की दूरी, पोषक क्षेत्र, कमरों की संख्या को देखते हुए पूर्व का स्थानांतरण रद्द कर प्रा. वि., चकिया टोला हरिजन का स्थानांतरण मध्य विद्यालय, शेरपुर में करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पी.जी. में उर्दू की पढ़ाई

189. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में उर्दू द्वितीय भाषा है। नई पीढ़ी के लिए उर्दू का माहौल बनाना मील का पत्थर साबित होगा;

(ख) क्या यह सही है कि पटना विश्वविद्यालय में पी.जी. में उर्दू की पढ़ाई में उर्दू गजलों की पढ़ाई होती थी परन्तु अब इसको प्रोत्साहन नहीं मिलने से विलुप्त होते जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में उर्दू प्रोफेसरों की भारी कमी है जिसके कारण उर्दू छात्रों की घोर कमी हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नई पीढ़ी हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों में पी.जी. में उर्दू की पढ़ाई में उर्दू गजलों हेतु प्रोफेसरों की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमण

190. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अन्तर्गत मध्य विद्यालय, चोरहर की स्थापना 1950 ई. में हुई और 1971 में उक्त विद्यालय का सरकारीकरण हुआ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को 1 एकड़ 71 डिसमिल अपनी जमीन है, साथ ही विद्यालय के पूरब में 37 डिसमिल एवं पश्चिम में 44 डिसमिल जमीन सरकार की है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार आस-पास सटे गांव एवं विद्यालय में बहुतायत संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों की संख्या है, साथ ही 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई उच्च विद्यालय नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि CWJC-5261, दिनांक 30.04.2014 में मा. उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि शिक्षा विभाग, विधि नियम, कानून-कायदा देखकर सभी अर्हता पूरी करने वाले उक्त विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की कार्रवाई करे;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, चोरहर, जिला-भागलपुर को अविलंब उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों की नियुक्ति

191. **श्री हरिनारायण चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कल्याणपुर प्रखंड स्थित अति पिछड़ा बालिका आवासीय विद्यालय, ध्रुवगामा के प्रधान शिक्षक की सेवानिवृत्ति के बाद अम्बेदकर बालिका विद्यालय, समस्तीपुर के प्रधान शिक्षक को वहां का प्रभारी बनाया गया है जबकि दोनों विद्यालय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बालिका छात्रावास के लिए कोई वार्डन नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं बल्कि दूसरी जगह के शिक्षकों को प्रतिनियोजित कर शिक्षण कार्य लिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अति पिछड़ा बालिका आवासीय विद्यालय में वार्डन, प्रधान शिक्षक एवं अन्य विषयों के शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति कबतक करेगी, नहीं तो क्यों

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 25 मार्च, 2017